

# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022-23/149

दिनांक: 17.10.2022

१. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक

२. समस्त संस्था प्रधान राजकीय उ.मा.वि/महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय/  
राजकीय अंग्रेजी माध्यम उ.मा. विद्यालय

**विषय:-** “विद्या सम्बल योजना” के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक— प ६(२) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक 30.03.2021 के क्रम में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों एवं महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों/राजकीय अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के तहत स्पष्ट रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।

## (१). पद एवं अर्हताएँ:-

क्र.स.	पद का नाम	योग्यता
I	व्याख्याता (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
II	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
III	अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय)	राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
IV	अध्यापक लेवल-1	राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
V	प्रयोगशाला सहायक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
VI	शारीरिक शिक्षक शिक्षक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट:-

- गेस्ट फैकल्टी हेतु चुनौतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।

राजस्थान शिक्षक संघ युवा, मनोज मीना

- 3. सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
- 4. सेवा निवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
- 5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शिक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

## (2) रिक्तियां :-

- I. विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। विद्या संबंल योजना के तहत अल्पभाषा उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के रिक्त पदों को भी सम्मिलित किया जाना है।
- II. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिह्नित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

## (3). आवेदन पत्र आमंत्रित करना:-

संबंधित प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने विद्यालय तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए संबंधित पीईईओ विद्या संबंल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने वाले स्पष्ट रिक्त पदों का चिह्नितकरण कर पदवार / विषयवार प्रकाशन विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, स्थानीय सार्वजनिक स्थलों, जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट पर (जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक कार्यालय के माध्यम से) किया जाकर निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप संलग्न) पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

## (4). आवेदन पत्रों की जांच एवं वरीयता सूची का निर्माण:-

आवेदन पत्रों की जांच एवं वरीयता सूची का निर्माण पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाए। इस हेतु विद्यालय स्तर पर एक एक तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा—

- |  |         |
|--|---------|
| 1. प्राचार्य / पीईईओ                               | अध्यक्ष |
| (यदि पद रिक्त है तो कार्यवाहक प्राचार्य / पीईईओ)   |         |
| 2. विद्यालय के दो वरिष्ठतम व्याख्याता              | सदस्य   |
| (यदि व्याख्याता कार्यरत नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक) |         |

नोट:- वरिष्ठ शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय के एक या दो, यथा आवश्यकता वरिष्ठ व्याख्याता को इस कार्य हेतु सदस्य नियुक्त करेंगे।

## (5) समिति के दायित्व:-

- I. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पदवार व विषयवार आवेदकों की सूची तैयार कर विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।

- II. आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची पदवार/विषयवार तैयार कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना।
- III. पदवार व विषयवार पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना।
- IV. वरीयता सूची में पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता निर्धारण उनके आवेदित पद के लिए सम्बन्धित सेवा नियमों में वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 75 प्रतिशत व वांछित न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 25 प्रतिशत अंक भारों के योग के आधार पर किया जाएगा।
- V. प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को कम आयु के अभ्यर्थी से वरीयता क्रम ऊपर रखा जाएगा।
- VI. पदवार व विषयवार तैयार की गई वरीयता सूचियों में से सर्वोच्च वरीयता वाले अभ्यर्थियों के नाम विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु उक्त समिति अपनी अनुशंसा प्राचार्य/PEEO को करेगी।

**(6) प्राचार्य/पीईईओ के कार्य:-**

- I. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिये विद्यालय के प्राचार्य और प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित पीईईओ द्वारा रिक्तियों की पहचान व प्रकाशन करना।
- II. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच कर उन्हें विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाए जाने एवं सात दिवस में कार्य प्रारंभ करने के लिए पत्र जारी करना।
- III. गेस्ट फैकल्टी के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य/PEEO को शपथ-पत्र (मूल) प्रस्तुत करेंगे।
- IV. गेस्ट फैकल्टी के कार्यों की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर मानदेय भुगतान की कार्यवाही करना।
- V. रिक्त पद भर जाने पर उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त कर देना।
- VI. यदि कार्य असंतोषजनक हो तो उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त कर देना।
- VII. विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के सेवा-निवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी पात्र होंगे।

**(7) टाईम टेबल:-**

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	दिनांक 01.11.2022 तक	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
2	दिनांक 02.11.2022 से 04.11.2022 (विद्यालय समय में)	आवेदन की तिथि
3	दिनांक 05.11.2022	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल)
4	दिनांक 07.11.2022	पात्रता की जाँच करना वरीयता सूची बनाना (अस्थाई) एवं जारी करना
5	दिनांक 09.11.2022	आपत्तियाँ मांगना
6	दिनांक 10.11.2022	अंतिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई)
7	दिनांक 11.11.2022	मूल दस्तावेजों की जाँच करना
8	दिनांक 12.11.2022	आदेश जारी करना
9	दिनांक 19.11.2022	कार्यग्रहण की अंतिम तिथि

**(8) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय—**

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा (60 मिनट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा—

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा (60 मिनट) मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	अध्यापक, लेवल—प्रथम, लेवल—द्वितीय	1 से 8	300 रु	21000 रु
02	वरिष्ठ अध्यापक	9 से 10	350 रु	25000 रु
03	प्राध्यापक	11 से 12	400 रु	30000 रु
04	प्रयोगशाला सहायक	.	300 रु	21000 रु
05	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	—	300 रु.	21000 रु.

**(9) अन्य —**

- I. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने आएंगे।
- II. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने/पूर्व में आमंत्रित किए गए गेस्ट फैकल्टी को हटाए जाने से रिक्त हुए पद पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- III. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।
- IV. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा—निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
- V. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपरिधि की दशा में प्रधानाचार्य द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।
- VI. गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएंगे, इन्हे कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।
- VII. यह दिशा निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं

पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग

राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रा./मा.), राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/ कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सहायक निदेशक, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
13. सहायक निदेशक, संस्थापन (एफ/सी) अनुभाग कार्यालय हाजा।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य.....
16. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु संस्था-प्रधान द्वारा दिए जाने वाले पत्र का प्रारूप

श्री/ श्रीमति/ सुश्री.....  
पता:-.....

विषय:- विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: प 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 के अनुसार “विद्या सम्बल योजना” के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप श्री/ श्रीमति/ सुश्री.....पुत्र/पुत्री श्री.....को विद्यालय ..... में पद ..... विषय ..... के रिक्त पद पर पूर्णतः अस्थाई रूप से लगाया जाता है।

गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको निम्नांकित शर्तों के अधीन लगाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक.....को .....बजे विद्यालय में उपस्थित होकर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करें :-

1. आप अव्वल समय पर अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ व संलग्न प्रारूप में मूल शपथ पत्र संलग्न कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
2. दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज साथ लेकर आएं।
3. निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्य हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह प्रस्ताव आपकी अस्वीकृति मानते हुए समाप्त कर दिया जाएगा।
4. गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको प्रतिघंटा..... मानदैय देय होगा, जो अधिकतम..... मासिक से अधिक देय नहीं होगा।
5. रिक्त पद पर नियमित प्रक्रिया से शिक्षक की नियुक्ति हो जाने अथवा सत्रांत तक, जो भी पहले हो, के साथ ही उसे निरस्त समझा जाएगा।

प्राचार्य

47